रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खंड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Central Secretariat Library
8 OCT 1974
Govt. of India

सं० 227] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 1974/भाद्र 27, 1896
No. 227] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 1974/BHADRA 27, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th September 1974

SUBJECT.—*Procedure for clearance of applications of enterprises in Santa Cruz Export Processing Zone for import of capital goods.*

No. 136-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the procedure for submission and processing of applications for import of capital goods received from industrial units located in Santa Cruz Export Processing Zone, Bombay, as contained in Paragraph 153, Chapter VI, of the Import Trade (Control) Hand Book of Rules & Procedure 1974-75.

2. In accordance with the said procedure, licences for import of capital goods in such cases are issued by the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay. On a review of the position, it has been decided that the Dy. Development Commissioner (Import and Exports), Santa Cruz Exports Processing Zone will be the licensing authority to consider applications for import of capital goods in the case of Units located in Export Processing Zone, Santa Cruz, Bombay (SEEPZ). These applications will, however, continue to be made to the Member Secretary, Santa Cruz EPZ Board, Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi, as already provided in the aforesaid paragraph 153 of the Import Trade (Control) Hand Book of Rules and Procedure 1974-75.

3. Paragraph 153 of the Import Trade (Control) Hand Book of Rules and Procedure 1974-75 may be deemed to have been amended accordingly.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1974

विषय.—पूंजीगत माल का आयात करने के लिए सान्ताक्रूज निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले क्षेत्र के उद्योगों के आवेदन पत्रों की निकासी के लिए प्रक्रिया।

सं० 136-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—सान्ताक्रूज निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले क्षेत्र, बम्बई में स्थित औद्योगिक एककों से पूंजीगत माल का आयात करने के लिए प्राप्त आवेदनों को प्रस्तुत करने एवं क्रियागत करने के लिए आयात व्यापार (नियंत्रण) हैंडबुक, क्रियाविधि, 1974–75 की कंडिका, 153, अध्याय चार में यथा निहित प्रक्रिया की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे मामलों में पूंजीगत माल का आयात करने के लिए लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा जारी किए जाते हैं। स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले क्षेत्र, सान्ताक्रूज, बम्बई (एस ई ई पी जेड) में स्थित एककों के मामले में पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए सान्ताक्रूज निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले क्षेत्र के उप-विकास आयुक्त (आयात-निर्यात) लाइसेंस प्राधिकारी होंगे। लेकिन, जैसा कि आयात व्यापार (नियंत्रण) हैंडबुक, क्रियाविधि, 1974–75 की उक्त कंडिका 153 में पहले से ही व्यवस्था है, ये आवेदन पत्र सदस्य सचिव, सान्ताक्रूज ई पी जेड बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली, को भेजा जाना जारी रखा जाएगा।

3. तदनुसार, आयात व्यापार (नियंत्रण) हैंडबुक, क्रियाविधि, 1974–75 की कंडिका 153 को संशोधित किया गया समझा जाए।

SUBJECT. —*Import Policy for Registered Exporters for the year April 1974—March 1975.*

No. 137-ITC (PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporter contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April 1974-March 1975, issued under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC/(PN)/74 dated the 2nd April, 1974 as amended from time to time.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book Vol. II	Reference	Amendments/Additions
99	B. 4-1 (A) Col. 4	The existing entry "(C) Ball bearings (permissible grades only)" may be deleted.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय:— अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति ।

सं० 137–आई०टी०सी० (पी०¼एन०)/74—वाणिज्य मंत्रालय की समय समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 44–आई०टी०सी० (पी०एन०) 74 दिनांक 2 अप्रैल 1974 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण-नीति (रेडबुक–वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार, उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा०–2) की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन/संकलन
99	बी० 4–1 (ए) कालम 4	वर्तमान प्रविष्ट, "(सी) बाल बेयरिंग स्वीकृति श्रेणी)" को हटाया जाए ।

¼बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974